न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या:80/2021(जी.सी.एम.एस. 2021/156)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. वसुन्धरा बाई पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिग जरिए प्राकृति संरक्षक माता अमनदीप कौर बेवा सुखदेव सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. रजनी पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिग जरिए प्राकृति संरक्षक माता अमनदीप कौर बेवा सुखदेव सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. प्रवीण पुत्री सुखदेव सिंह नाबालिग जरिए प्राकृति संरक्षक माता अमनदीप कौर बेवा सुखदेव सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 4. आशु पुत्र सुखदेव सिंह नाबालिग जरिए प्राकृति संरक्षक माता अमनदीप कौर बेवा सुखदेव सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. सोम सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. नसीब कौर पुत्री दर्शन सिंह पत्नी राजु जाति बावरी निवासी 2 एसटीवाई तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू:– 07.09.2021

उपस्थित:1.श्री गुरदयाल सिंह मल्ली अधिवक्ता वादीगण

2.श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

––निर्णय–– दिनांक: 06.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादीगण के दादा दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी दर्शन सिंह को उक्त भूमि उसके पिता दयाल सिंह के फौत होने पर विरास्त में प्राप्त हुई थी। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम की चक 12 एस के मुरब्बा नम्बर 12 में 1/5 हिस्सा भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण बतौर कोपार्सनर जन्म से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण की माता प्रतिवादी संख्या 1 से विवादित भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने रोबरू पंचायत दिंक 10.07.2021 को देने से साफ इन्कार कर दिया व कहा कि मैं वादीगण को कोई भूमि नहीं दुगां मै तो इसका बेचान करूंगा। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादीगण के दादा दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1/4-1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंयअर्जित भूमि है। जिसमें वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i) आया कि क्या वादीगण, चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित होने व अलग से खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादीगण-

(ii) आया कि क्या वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होने के कारण वादीगण कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 3-

(iii)अनुतोष।

4. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 73/74 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 12 एस के नामातंरण संख्या 971 दिनांक 15.06.1989 की प्रमाणित प्रति, स्वंय नाबालिग वादीगण जरिए माता अमनदीप कौर बेवा सुखदेव सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह की गई। ब्यान सामिल मिसल रहे। साक्ष्यप्रतिवादी में स्वंय प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया गया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह हेतु गवाह उपस्थित नहीं आने पर जिरह बन्द की

4. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i) आया कि क्या वादीगण, चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित होने व अलग से खाता तकसीम करवाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थी। वादीगण के द्वारा चक 12 एस की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 73/74 के मुरव्बा नम्बर 12 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक 1/4-1/4 हिस्सा के खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा में कथन किया है कि वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वंयअर्जित भूमि है। जिसमें वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य है। प्रदर्श-2 चक 12 एस के नामातंरण संख्या 971 दिनांक 15.06.1989 के अनुसार चक 12 एस के मुरव्बा नम्वर 12 की 25 बीघा नहरी भूमि दियाला के फौत होने पर जरिए विरास्तन बुध सिंह, तीतर सिंह, मखन सिंह, लाल सिंह, दर्शन सिंह पिसरान दियाला व शामो व.हि.ब कौम बावरी साकिन धनूर के नाम दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें से वादीगण अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण इस तनकी को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तनकी संख्या (ii) आया कि क्या वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि होने के कारण वादीगण कोई हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है?

उक्त विवाधक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की थी। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा में कथन किया है कि वादगत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है। जिसमें वादीगण हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा खारिज किए जाने योग्य है। प्रदर्श-2 चक 12 एस के नामातंरण संख्या 971 दिनांक 15.06.1989 के अनुसार चक 12 एस के मुरब्बा नम्बर 12 की 25 बीघा नहरी भूमि दियाला के फौत होने पर जरिए विरास्तन बुध सिंह, तीतर सिंह, मखन सिंह, लाल सिंह, दर्शन सिंह पिसरान दियाला व शामो ब.हि.ब कौम बावरी साकिन धनूर के नाम दर्ज हुई है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर भूमि पैतृक सम्पति है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 निर्णीत की जाती है।

(iii) अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 बहक वादीगण व तनकी संख्या 2 विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना हम विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादीगण के दादा दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण वसुन्धरा बाई, रजनी, प्रवीण, आशु को 1/4 बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वसुन्धरा बाई आदि बनाम दर्शन सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 91, 92 आरटीए
मुकदमा नम्बर **80/2021**
निर्णय दिनांक :- 06.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री गुरदयाल सिंह मल्ली व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88, 91, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर, के खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 12 की 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि में से वादीगण के दादा दर्शन सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण वसुन्धरा बाई, रजनी, प्रवीण, आशु को 1/4 बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
आज दिनांक 06.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/356
दिनांकः [illegible]/25

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)